न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 153/2025 (GCMS: 2025/229)
राज्य सरकार जरिये श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भागीरथ जाति कुम्हार, उम्र 57 वर्ष निवासी मकान नम्बर 545, गली नं. 06, नेकीराम आटा चक्की के पास, इन्दिरा कॉलोनी, मोबाईल नम्बर 96676-14157 जिला श्रीगंगानगर

06.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 04.04.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ इन्दिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर की गली नं. 06 में स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर उक्त दुकान में श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भागीरथ उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर दुकान में 24 प्लास्टिक बोतल जिसमें 15 प्लास्टिक बोतलें (2 लीटर क्षमता), 9 प्लास्टिक बोतलें (क्षमता 01 लीटर) पेट्रोलिमय पदार्थ से भरी पायी गयी। मौके पर 02 प्लास्टिक की कीप भी पायी गयी। मौके पर जांच व भौतिक सत्यापन करने पर उक्त प्लास्टिक बोतलों में कुल 39 लीटर पेट्रोल होना पाया गया, जिसे श्री विनोद कुमार ने स्वयं का होना स्वीकार किया तथा बताया कि वह **पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल-पेट्रोल का बेचान इन्द्रा कॉलोनी, श्रीगंगानगर में करता हैं।** मौके पर विनोद कुमार द्वारा पेट्रोल/डीजल के बेचान के संबंध में कोई कागजात/अनुमति/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। विनोद कुमार ने **बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल का खरीद, बेचान, परिवहन एवं संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार विवरण) आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(आर), 3(4) एवं 4 का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण**, जिला रसद अधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर, मौके पर जब्तशुदा 39 लीटर पैट्रोल मय 24 प्लास्टिक बोतलें, 02 प्लास्टिक की कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 153/2025
सरकार बनाम विनोद कुमार
(GCMS No. 2025/229)
आदेश दिनांक 06.05.2026

अप्रार्थी विनोद कुमार को नोटिस जारी किया गया था, जो अप्रार्थी विनोद कुमार स्वयं को नोटिस विधिवत् तामील प्राप्त होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 04.04.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ अप्रार्थी विनोद कुमार की दुकान पर पहुचें तो उसके द्वारा बिना कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल/डीजल का बेचान किया जा रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का खरीद, बेचान, परिवहन एवं संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(आर),3(4)(6),4 का उल्लंघन करने के कारण जब्तशुदा 39 लीटर पैट्रोल मय 24 प्लास्टिक बोतलें, 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली एवं विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ ने दिनांक 04.04.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु इन्दिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर गली नं. 06 में स्थित दुकान पर पहुंचे तो मौके पर विनोद कुमार पुत्र श्री भागीरथ दुकान पर उपस्थित मिले, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। मौके पर दुकान में 39 लीटर पेट्रोल मय 24 प्लास्टिक बोतल, 02 प्लास्टिक कीप पायी गयी। जिसे अप्रार्थी विनोद कुमार ने स्वयं का होना स्वीकार किया। अप्रार्थी ने बातया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्प से डीजल–पेट्रोल का बेचान इन्द्रा कॉलोनी, श्रीगंगानगर में स्थित दुकान में करता है। मौके पर विनोद कुमार ने पेट्रोल/डीजल के बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही किया गया। इसलिए 39 लीटर पेट्रोल मय 24 प्लास्टिक बोतल, 02 प्लास्टिक कीप को जब्त किया गया। विनोद कुमार ने बिना अनुमति/अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल [illegible] बेचान, परिवहन एवं संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्[illegible] 03 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डी[illegible] का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(अ[illegible] 3(4)(6), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है इसलिए जब्तशुदा में 39 लीटर पेट्रोल मय 24 प्लास्टिक बोतलें एवं 02 प्लास्टिक कीप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

6ए– प्रकरण संख्या 153/2025
सरकार बनाम विनोद कुमार
(GCMS No. 2025/229)
आदेश दिनांक 06.05.2026

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> **''जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी** ऐसे आदेश **का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।''**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी विनोद कुमार को नोटिस जारी किया गया था, जो अप्रार्थी विनोद कुमार स्वयं को नोटिस विधिवत् तामील प्राप्त होने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हुआ, इससे साबित होता है कि अप्रार्थी प्रकरण में अपने पक्ष में कोई तथ्य पेश नहीं करना चाहता है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी **''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी से** 39 लीटर लीटर पैट्रोल **का भण्डारण एवं बेचान करते हुए जब्त किया गया है। बिना अनुज्ञप्ति (License) एवं बिना किसी सुरक्षा पेट्रोलियम** उत्पाद के परिवहन एवं बेचान के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

इस प्रकार अप्रार्थी विनोद कुमार के कब्जे से उसकी दुकान में 39 लीटर पैट्रोल एवं अन्य सामग्री बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा **अप्रार्थी विनोद कुमार के पास पेट्रोल के भण्डारण/बेचान करने का का कोई वैध अनुज्ञा पत्र भी नही है।** इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के** क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग "ख" के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति (License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी 39 लीटर पेट्रोल का "भण्डारण एवं बेचान" करते जब्त किया गया हैं, इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त 39 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात करने योग्य ठहरते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(I) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 39 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 39 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य सामान को विक्रय कर, राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:20 IST
Reason: SelfAttested